

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-20/2013-
प्रेषक,

203 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 12/12-2013

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Mail/Fax

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर/मुंगेर/रोहतास/जमुई/भोजपुर/
बेगूसराय/नालन्दा/खगड़िया/पटना/लखीसराय/कैमूर (भभूआ)/गया/नवादा/शेखपुरा/
औरंगाबाद/जहानाबाद/अरवल/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/वैशाली, (हाजीपुर)/पूर्वी
चम्पारण (मोतिहारी)/पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)/सीतामढ़ी/शिवहर/भागलपुर/बांका/मधुबनी/
समस्तीपुर/दरभंगा/सहरसा/मधेपुरा/पूर्णियाँ/अररिया/किशनगंज/कटिहार/सुपौल/कनीय
पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/भोजपुर/रोहतास/गया/नवादा/औरंगाबाद/
भागलपुर/मुंगेर/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/वैशाली (हाजीपुर)/सीतामढ़ी/पूर्वी
चम्पारण (मोतिहारी)/पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/
सहरसा/पूर्णियाँ/कटिहार।

विषय : जैविक खेती परियोजना के लिए वर्ष 2013-14 में 10504.78 लाख रुपये (एक अरब पाँच करोड़ चार
लाख अठ्ठत्तर हजार रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन
अनुसूचित जाति के लिए 1702.5329 लाख रुपये (सत्तरह करोड़ दो लाख तिरपन हजार दो सौ नब्बे
रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹17,02,53,290 (सत्तरह
करोड़ दो लाख तिरपन हजार दो सौ नब्बे रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-6055 दिनांक-05.12.2013 द्वारा जैविक खेती परियोजना के
लिए वर्ष 2013-14 में 10504.78 लाख रुपये (एक अरब पाँच करोड़ चार लाख अठ्ठत्तर हजार रुपये) की लागत पर
योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 1702.5329 लाख रुपये (सत्तरह करोड़ दो
लाख तिरपन हजार दो सौ नब्बे रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹17,02,53,290
(सत्तरह करोड़ दो लाख तिरपन हजार दो सौ नब्बे रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की
जाती है।

2. उपरोक्त ₹17,02,53,290 (सत्तरह करोड़ दो लाख तिरपन हजार दो सौ नब्बे रुपये) मात्र की राशि
का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष
घटक योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0104-जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड-P2401007890104, राज्य योजना
स्कीम कोड-AGR-5035, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित राशि 9250.43 लाख रुपये
से विकलनीय होगा।


3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 वि० (2)
दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया
जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध
करा दी जाय।



विश्वासभाज्ज,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

203 (आवृत्तन)


/कृ०, पटना, दिनांक 12-12-2013

प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु


सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक


203 (आवृत्तन)

/कृ०, पटना, दिनांक 12-12-2013

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, (पी० पी० एम०),/निदेशक, उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण, /निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/ निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।




सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

कृषि खेती परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष, 2013-14 में (अनुसूचित जाति के लिए) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6055 दिनांक-05.12.2013 के अनुसार राशि का आवंटन।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्वीकृत राशि (राशि रुपये में)	आवंटित राशि (राशि रुपये में)
		P2401007890104	P2401007890104
1	कृषि निदेशक, बिहार, पटना।	12,97,64,500	12,97,64,500
2	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	6,67,300	6,67,300
3	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	4,71,200	4,71,200
4	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	11,19,900	11,19,900
5	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	7,03,500	7,03,500
6	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	10,39,600	10,39,600
7	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	10,51,800	10,51,800
8	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	11,32,200	11,32,200
9	जिला कृषि पदाधिकारी, खगडिया।	5,96,300	5,96,300
10	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	14,80,500	14,80,500
11	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	3,78,700	3,78,700
12	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (भूमूआ)।	6,85,600	6,85,600
13	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	14,86,400	14,86,400
14	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	8,55,300	8,55,300
15	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	2,62,500	2,62,500
16	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	9,26,700	9,26,700
17	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	4,35,500	4,35,500
18	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	3,10,500	3,10,500
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	14,62,600	14,62,600
20	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	13,28,600	13,28,600
21	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	10,66,300	10,66,300
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	17,39,500	17,39,500
23	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)।	13,16,400	13,16,400
24	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।	18,27,400	18,27,400
25	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।	14,26,900	14,26,900
26	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	12,39,300	12,39,300
27	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	2,56,900	2,56,900
28	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	11,02,100	11,02,100
29	जिला कृषि पदाधिकारी, बांका।	8,46,400	8,46,400
30	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	18,01,900	18,01,900
31	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	17,21,600	17,21,600
32	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	14,68,200	14,68,200
33	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	6,94,500	6,94,500
34	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	7,90,100	7,90,100
35	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	11,27,100	11,27,100
36	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	9,94,900	9,94,900
37	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	5,84,100	5,84,100
38	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	10,84,200	10,84,200
39	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	8,29,200	8,29,200
40	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पटना।	1,06,080	1,06,080
41	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, नालन्दा।	82,990	82,990
42	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, भोजपुर।	76,780	76,780
43	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, रोहतास।	82,100	82,100
44	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गया।	1,07,560	1,07,560
45	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, नवादा।	64,640	64,640
46	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, औरंगाबाद।	69,380	69,380
47	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, भागलपुर।	80,920	80,920
48	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, मुंगेर।	39,180	39,180

सुम

	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, सारण।	1,04,900	1,04,900
	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, सिवान।	96,020	96,020
51	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गोपालगंज।	78,550	78,550
	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	1,23,250	1,23,250
53	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)।	95,130	95,130
54	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	90,100	90,100
55	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।	1,28,860	1,28,860
56	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।	1,02,530	1,02,530
57	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, दरभंगा।	1,05,190	1,05,190
58	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, मधुबनी।	1,27,390	1,27,390
59	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, समस्तीपुर।	1,22,060	1,22,060
60	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, बेगूसराय।	77,660	77,660
61	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, सहरसा।	53,980	53,980
62	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	82,100	82,100
63	कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, कटिहार।	79,740	79,740
	कुल-	17,02,53,290	17,02,53,290
कुल-(सत्तरह करोड़ दो लाख तिरपन हजार दो सौ नब्बे रुपये मात्र)			

(सुभा)

(रामजी सिंह)

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार पटना।